संख्या-28/763/84-1-13-10/07

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 26 सितम्बर, 2013

विषय- जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय बरेली के किराये में वृद्वि एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-714/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./भ0कि0 01/2002, दिनॉक 28 मई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वितीय के कार्यालय हेतु श्री सोमेश्वर दयाल जैन, एडवोकेट पुत्र स्व0 विश्मबर दयाल जैन के 202 ए सिविल लाइन बरेली स्थित भवन के किराये में वृद्वि करते हुए दिनॉक 01.06.2012 से आगामी 05 वर्ष तक अवधि बढाये जाने हेतु अथवा निजी भवन निर्माण होने तक (जो पहले हो) रू0 29,070.50 अर्थात् रू0 29,070.00 (उन्तीस हजार सत्तर रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त कार्यालय भवन का किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गई हो तो उसका उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य समस्त अवशेष औपचारिकतायें भी पूर्ण कर ली जायें।

3- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सी0ए0एस0एस0-।।।/टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अध्यक्ष, जिला फोरम द्वितीय बरेली।
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in